राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2277/2014

कैलाश चन्द मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) बाड़मेर।
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय बायतू, जिला बाडमेर।
3. मुख्य वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर (राज.)।
4. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.12.2014
आदेश की दिनांक : 21.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 03.11.2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से किसी प्रकार की वसूली नहीं किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1993 में पटवारी के पद पर हुई थी और मई, 2002 में उसे भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। मई, 2002 से अगस्त, 2008 तक बायतू जिला बाडमेर में बाढ राहत एवं अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को राशि आवंटित की गई, जिसे संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षकों को आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशि दी गई और भू–अभिलेख निरीक्षकों द्वारा संबंधित पटवारियों को राशि दी गई तथा उक्त राशि को निर्देशानुसार मस्ट्रोल आदि के आधार पर नुकसान के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को दी गई और समयोजन पश्चात् अपीलार्थी को रिपोर्ट की। अपीलार्थी ने कोई राशि अपने पास नहीं रखी। आंतरिक निरीक्षण दल द्वारा जिला कार्यालय बाडमेर के अकाल राहत लेखों का जांच प्रतिवेदन अवधि दिनांक 08/2006 से 10/2007 तक

की प्रस्तुत की, जिसमें आक्षेप संख्या 24 में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 221(2) के अनुसार आक्षेप लगाया गया कि कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन 4 सप्ताह में नहीं किया गया और 4 सप्ताह के बाद समायोजन करने के बाद उक्त नियमों के अनुसार समायोजन की तिथी तक 18 प्रतिशत ब्याज की राशि वसूली योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी से रूपये 5,87,113/– वसूल करने के आदेश दिए गए। यह आरोप आंतरिक निरीक्षण दल द्वारा बिना विवेक का उपयोग किए लगाया गया है, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी विलंब के संबंधित पटवारियों को बाढ राहत, अकाल राहत संबंधित राशि दे दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी का उक्त कृत्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 03.11.2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से किसी प्रकार की वसूली नहीं किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी मई, 2002 से अगस्त, 2008 के दौरान बाढ एवं अकाल राहत की राशि को भू–अभिलेख निरीक्षक बायतू एवं गिडा संबंधित को भुगतान करने हेतु अग्रिम राशि दी गई, जिसका भुगतान करके वापस हिसाब का समायोजन का विलम्ब से पेश किया गया और विलम्ब की अवधि के लिए नियमानुसार ब्याज की गणना करके वसूली आदेश जारी किए गए और समायोजन की तिथी तक विलम्ब अवधि का 18 प्रतिशत ब्याज की राशि वसूली योग्य है, जो अपीलार्थी के वेतन से कटौती किए जाने बाबत् आदेश दिनांक 03.11.2014 जारी किया गया है, जो सही एवं नियमानुसार है। अपीलार्थी द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग करके अग्रिम राशि का समय पर वितरण होने पर नियमानुसार समयावधि में समयोजन करना चाहिए था जो कि नहीं कराया गया, इससे उक्त कृत्य अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही दर्शाता है, जिसके कारण अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1993 में पटवारी के पद पर हुई थी और मई, 2002 में उसे भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। मई, 2002 से

अगस्त, 2008 तक बायतू जिला बाडमेर में बाढ राहत एवं अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को राशि आवंटित की गई। परंतु नियमानुसार समयावधि में आवंटित नहीं होने के कारण आंतरिक निरीक्षण दल द्वारा जिला कार्यालय बाडमेर के अकाल राहत लेखों का जांच प्रतिवेदन अवधि दिनांक 08/2006 से 10/2007 तक की प्रस्तुत की, जिसमें आक्षेप संख्या 24 में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 221(2) के अनुसार आक्षेप लगाया गया कि कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन 4 सप्ताह में नहीं किया गया और 4 सप्ताह के बाद समायोजन करने के बाद उक्त नियमों के अनुसार समायोजन की तिथी तक 18 प्रतिशत ब्याज की राशि वसूली योग्य है और अपीलार्थी से रूपये 5,87,113/– वसूल करने के आदेश दिए गए। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी वसूली आदेश के संबंध में एवं अपील में उठाये गये आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि को नियमानुसार निश्चित समयावधि में उचित रूप से आवंटित की गई अथवा नहीं, की सही ढंग से जांच करते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण नियमानुसार दो माह में कर उचित निर्णय लें, जिसकी सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य